



कार्यक्षेत्रीय मण्डल - वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर।
कार्यक्षेत्रीय जनपद- वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, सोनभद्र।
कार्यालय : क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी।
डी0-57/58, कस्तूरबा नगर, सिगरा, वाराणसी।
E-Mail Id- rheovns001@gmail.com
फोन नं0 - (0542) 2221000
Website-www.rheovns.co.in

पत्रांक : क्षेत्रीय0वा0 / 1345-44 / 2024-25,

दिनांक : 22/08/2024

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त राजकीय/अशासकीय अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
जनपद-वाराणसी।

विषय-कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत समस्त पात्र दिव्यांगजन को ससमय गुणवत्तापूर्ण उपकरण वितरित कर लाभान्वित किये जाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के पत्रांक सी. 402/जि0दि0ज0स0अ0/कृ0अ0स0उ0/2024-25, दिनांक 03.08.2024 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित उक्त पत्र में दिये गये निर्देश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-उक्तवत।

भवदीय

कृते क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

पृ0सं0/क्षेत्रीय0वा0 / _____ / 2024-25 तददिनांक-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, वाराणसी।
2. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वाराणसी

कृते क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

६०१

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

1. उच्च शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक,
वाराणसी।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
वाराणसी।

पत्रांक: C. 402/जि0दि0ज0स0अ0/कृ0अ0स0उ0/2024-25, दिनांक: 03.08.2024.

विषय: कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत समस्त पात्र दिव्यांगजन को ससमय गुणवत्तापूर्ण उपकरण वितरित कर लाभान्वित किये जाने हेतु।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पत्रांक: सी0-1218, दिनांक: 10 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को कैलीपर्स, कृत्रिम हाथ-पैर, जूता आदि एवं सहायक उपकरण वितरण योजनान्तर्गत ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, एम0आर0 किट, ब्रेल किट, बैशाखी, छड़ी, स्मार्ट केन, सी0पी0 चेयर आदि रू0 10000.00 (अधिकतम) (रू0 दस हजार) की सीमा में निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

आवश्यक अभिलेख-

1. आवेदक का फोटो।
2. दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड।
3. आय प्रमाण पत्र (ग्राम प्रधान/पार्षद की आय भी मान्य)।
4. आवेदन पत्र पर सरकारी चिकित्सक का दिव्यांगता अनुमोदन करते हुए हस्ताक्षर एवं मुहर।
5. आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड/राशन कार्ड।

सम्पर्क सूत्र - 05422500693, 9450962223

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आप से अनुरोध है कि जनपद के स्कूल/विद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को इस आशय से निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि पात्र विद्यार्थियों को आवश्यक अभिलेख के साथ वेबसाइट: <https://divyangjanup.upsdc.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन कराते हुए, आवेदन फार्म की हार्ड कापी एवं संलग्न अभिलेख कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, कचहरी, वाराणसी में जिसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त, 2024 तक है, जमा करा दें जिससे दिव्यांगजन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक इस योजना से लाभान्वित किया जा सकें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राम प्रकाश सिंह)

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
वाराणसी।

पत्रांक तथा दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
3. उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
वाराणसी।

जी रमाप्रताप सिंह

दिव्यांगजन सशक्तीकरण, निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
दशम् तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्राक-८-१२१८/निदि०वि०स०/क०अ०/२०२४-२५.

दिनांक- १० जुलाई, 2024

समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय:- कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत समस्त पात्र दिव्यांगजन को ससमय गुणवत्तापूर्ण उपकरण वितरित कर लाभान्वित किये जाने हेतु वार्षिक कार्ययोजना/समय सारणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-724/65-2-2024 दिनांक 09 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समस्त पात्र दिव्यांगजन को गुणवत्तापरक कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण से लाभान्वित किये जान हेतु निम्न समय सारणी/कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी है:-

क्र०सं०	माह	क्रियाकलाप
01	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक	शिबिरो (कैम्पा) का आयोजन कर दिव्यांगजन का चिन्हिकन करते हुये आवेदन प्राप्त कर आवेदन पत्रों को आनलाईन कराना, निर्भर प्रचार-प्रसार के माध्यम से योजनान्तर्गत अधिक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त करना तथा आनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कराना।
02	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01, सितम्बर से 15 अक्टूबर तक	स्वीकृत आवेदन पत्रों के सापेक्ष निर्धारित क्रय प्रक्रिया का अनुपालन करते हुये आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाना।
03	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 16, अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक	नामित/चयनित आपूर्तिकर्ता कम्पनी/फर्म/संस्था/संस्थान/निगम आदि से सैम्पल प्राप्त कर गुणवत्ता जाँच कराना।
04	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01, नवम्बर से 31 जनवरी तक	शत-प्रतिशत आपूर्ति प्राप्त कर मा० संगम/विश्वक/जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण शिबिर आयोजित कर पात्र दिव्यांगजन को लाभान्वित करना।
05	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 फरवरी से 31 मार्च तक	बालू वित्तीय वर्ष में लाभान्वित समस्त लाभार्थियों का सत्यापन/जाँच जनपद स्तर पर कराना तथा पोर्टल पर लाभार्थियों के सापेक्ष वितरण का पूर्ण विवरण फीड करना। मुख्यालय स्तर से यादृच्छिक (स्पॉट) सत्यापन भी किया जाये तथा वितरण हेतु अवशेष उपकरणों का पात्र लाभार्थियों को वितरण कराना।

उपर्युक्त समय-सारणी/कार्ययोजना के अनुसार समस्त जनपद एवं मण्डलों द्वारा कार्य सम्पादित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त आवेदन पत्र आनलाईन माध्यम से प्राप्त किये जाये तथा उनका सत्यापन व पात्रता की जाँच नियमानुसार कराया जाये। वितरित कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के संबंध में यदि प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायी जिला एवं मण्डल स्तरीय अधिकारियों का होगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 फरवरी के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को अगामी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु वितरण की कार्यवाही सम्पादित की जानगी।

एक प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के कय हेतु उपकरणों की संख्या का सही आंकड़ों का नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर वर्ष भर के लिये एजेन्सी/आपूर्तिकर्ता का निर्धारण कर लिया जाये। एक ही कार्य के लिये बार-बार यथासम्भव निविदा की कार्यवाही न की जाये ताकि विलम्ब न हो। प्रचलित वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।

साथ ही पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, जो कि वर्ष पर्यन्त चलती है, लेकिन पात्र लाभार्थियों का अधिकतम चिन्हांकन 31 अगस्त तक कर लिया जाये। ताकि वर्ष के लक्ष्य का अधिकांशतः निर्धारण हो जाये। इस तिथि के बाद भी प्राप्त होने वाले आवेदन की जाँच इत्यादि का कार्य भी आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये।

प्रस्तर-3 में उल्लिखित तालिकानुसार निर्धारित समय-सारणी/कार्ययोजना के अनुसार के अतिरिक्त एक प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के कय हेतु निविदा आमंत्रित कर वर्ष भर के लिये एजेन्सी/आपूर्तिकर्ता का निर्धारण कर लिया जाये। एक ही कार्य के लिये बार-बार यथासम्भव निविदा की कार्यवाही न की जाये ताकि विलम्ब न हो। प्रचलित वित्तीय नियमों का पालन किया जाय। साथ ही पात्र लाभार्थियों के चिन्हांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, जो कि वर्ष पर्यन्त चलती है, लेकिन पात्र लाभार्थियों का अधिकतम चिन्हांकन 31 अगस्त तक कर लिया जाये। ताकि वर्ष के लक्ष्य का अधिकांशतः निर्धारण हो जाये। इस प्रकार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजनान्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उक्तानुसार कार्यवाही करायी जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन के उक्त पत्र दिनांक. 09 जुलाई, 2024 में प्रदत्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भुवदीप

10/7/24
(अमित कुमार राय)

उपनिदेशक,

कृते निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०।
- 4- वैयक्तिक सहायक, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० का निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

(अमित कुमार राय)

उपनिदेशक,

कृते निदेशक।